

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
राँची।

राँची, दिनांक: 22-05-2026

विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना अन्तर्गत पलामू जिलान्तर्गत स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराईडीह के भवन निर्माण की योजना हेतु राज्य योजना मद से कुल 13,86,568/- (तेरह लाख छियासी हजार पाँच सौ अड़सठ) रुपए मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-15(5)यो० दिनांक-21.05.2026, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राँची के पत्रांक-64 (HSN) दिनांक-14.03.2017 तथा कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक-1019 (नि०) दिनांक-10.05.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना अन्तर्गत पलामू जिलान्तर्गत स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराईडीह के भवन निर्माण की योजना हेतु राज्य योजना मद से अधोलिखित तालिका के अनुसार कुल 13,86,568/- (तेरह लाख छियासी हजार पाँच सौ अड़सठ) रुपए मात्र आवंटित की जाती है:-

क्र	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	व्यय की स्वीकृति के पश्चात् योजना की कुल लागत राशि	योजना में NHM निधि से अबतक आवंटित राशि	राज्य योजना मद से वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराईडीह, पलामू	64(HSN) 14.03.2017 एवं 15(5)यो० 21.05.2026	2,30,00,000	2,43,86,568	2,30,00,000	13,86,568	2,43,86,568

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तें यथावत् रहेंगी। स्वीकृत्यादेश में अंकित सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

3. योजना हेतु व्यय का विकलन बजट शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय-48-जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार उत्क्रमण-01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित-05-निर्माण-45 निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 4210-01-110-48-01-05-45) के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे। सिविल सर्जन, राँची राशि का पुस्तान्तरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता-मुख्यशीर्ष-8448-स्थानीय निधि जमा-120-अन्य निधियों में करेंगे।

5. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्रि पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

6. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक-2561 वि०, दिनांक-17.04.98 एवं 1800(वि०), दिनांक-15.07.2003 एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य आदेश के आलोक में होगा।

7. राशि की निकासी राँची कोषागार, राँची से होगी।

8. राशि की निकासी के पूर्व विपत्र/चेक पर आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा एवं यह प्रमाणित किया जाएगा कि प्रस्तुत विपत्र/चेक प्रशासनिक स्वीकृत राशि एवं आवंटित राशि के अन्तर्गत है। कार्यकारी एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो। राशि की निकासी पारित विपत्र के आधार पर की जाएगी।

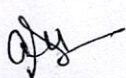
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

10. जिस शीर्ष के अन्तर्गत राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अन्तर्गत व्यय भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अन्तर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

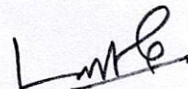
11. कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का मूल्यांकन इस उद्देश्य से चयनित Third Party Quality Control एजेन्सी से कराना सुनिश्चित करते हुए उसका प्रतिवेदन नियमित रूप से प्राप्त किया जाएगा। राशि का भुगतान Quality Control जाँच कराए जाने के बाद ही किया जाएगा। योजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाएगा।

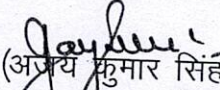
12. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के अभियन्ताओं का दायित्व होगा।

13. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित अभियन्ता इससे आश्वस्त हो लेंगे कि योजना का कार्यान्वयन Jharkhand PWD Code-2012 के सुसंगत नियमों के अधीन किया गया हो, इसके पश्चात ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना में किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान की स्थिति में निगम के संबंधित पदाधिकारी/अभियन्ता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।


(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

11(5)व.
22/05/2024


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव


(अनन्द कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

14. कार्य एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: 11(5)वै.

राँची, दिनांक: 22/05/2026

प्रतिलिपि:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
3. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
4. उपायुक्त, पलामू।
5. सिविल सर्जन, पलामू।
6. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
7. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

11(5)वै.

22/5/26



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 5-P-27/2023/11(5)B

दिनांक - 22-May-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 42100111048010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल तथा औषधालय 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण 01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित 05 - निर्माण State Scheme	23449	RNCMED013 PRABHAT KUMAR C.S.CUM C.M.O.RANCHI 45 - निर्माण कार्य	1,386,568.00 रुपये तेरह लाख छियासी हजार पाँच सौ अडसठ



State Scheme : STATE HEALTH INFRASTRUCTURE STRENGTHENING & UPGRADATION UPTO DISTRICT
 Central Scheme : NAEVL(1691)

योग: रुपये तेरह लाख छियासी हजार पाँच सौ अडसठ
 क्रमिक योग:

1,386,568.00

(AJAY KUMAR SINGH)
 ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मांग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

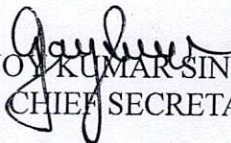
मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 48 - जिला

स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S42100111048010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranchi	RNCMED013	Prabhat Kumar	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	₹13,86,568.00 (23449)	₹13,86,568.00

कुल आवंटित राशि :- ₹13,86,568.00 (तेरह लाख छियासी हजार पाँच सौ अड़सठ) रुपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए


(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY